न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 13 / 2025

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 कृष्णराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. रणवीर कुमार पुत्र स्व० कृष्णराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. श्योनारायण पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. इन्द्राज पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
5. कमला देवी पुत्री हरीराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी चक 7 ई छोटी बिरथलियांवाली तह० व जिला श्रीगंगानगर
6. रोशनी देवी पुत्री हरीराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी खाटसजवार तह० सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
7. विमला देवी पुत्री हरीराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी चक बिरथलियांवाली तह० व जिला श्रीगंगानगर।
8. रविन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी हाकमाबाद तह० सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
9. विरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी हाकमाबाद तह० सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
10. शिमा देवी पत्नी मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर, हाल निवासी हाकमाबाद तह० सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
11. विक्रम पुत्र स्व0 साहबराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
12. वेदप्रकाश पुत्र स्वव साहबराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
13. गोमती पुत्री स्व० साहबराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
14. सुख देवी पुत्री स्व० साहबराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
15. चन्द्रकला पत्नी स्व० साहबराम जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
16. सतविन्द्र पुत्र स्व0 हंसराज जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

17. भरत कुमार पुत्र स्व0 हंसराज जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
18. उर्मिला पुत्री स्व० हंसराज जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
19. गुड्डी देवी पत्नी स्व0 हंसराज जाति मेघवाल निवासी चक 6 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. सुशील कुमार पुत्र अभयराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 4, रवि चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राज0)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर
3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कोनी तह. व जिला श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राम प्रकाश खुड़ियाल	प्रार्थीगण
2. श्री शिव प्रकाश कालड़ा	अप्रार्थी –1
3. श्री योगेश खड़गावत	अप्रार्थी –3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम रकबा चक 5 एफ बडा, पटवार हल्का कोनी, तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 19/11, मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 3,4,5,6,7,8, 13/2, 14, 15, 16, 17, 24, 25 में कुल 3.162 हैक्टेयर नहरी जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जमाबंदी संवत् 2072–2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीगण संख्या 3 ता 10 के नाम रकबा चक 5 एफ बडा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 111/86 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 1, 2,9,10,11,12,13/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुल 3.162 हैक्टेयर नहरी जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जमाबंदी संवत् 2072–2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। साहबराम व हंसराज पिसरान [illegible] जिनके मृत्यु [illegible] एवं हंसराज के प्रमाण–पत्रों एवं वारिसनामों की फोटो प्रतियां संल[illegible] नाम रकबा चक विधिक वारिसान प्रार्थीगण संख्या [illegible] नम्बर 48 के 5 एफ बडा, तह0 श्रीगंगानगर के खाता [illegible] रिकॉर्ड में दर्ज है, किला नम्बर 1 ता 25 में 5.880 हैक्टेयर नहरी [illegible] जमाबंदी संवत् 2072–2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि सं[illegible] है प्रार्थीगण को अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रकबा मुरब्बा नम्बर 49 में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में से उतरी तरफ दो–दो बिस्वा यानि 16/2 फीट चौडाई में रास्ता की जायज आवश्यकता है, प्रार्थीगण को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 49 में आने–जाने के लिए अन्य कोई सुविधाजनक एवं नजदीकी रास्ता का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने–जाने, कृषि यंत्र लाने–ले जाने में भारी असुविधा व कठिनाई हो रही है। मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 के पश्चिमी तरफ पक्की सडक (कोनी–मोहनपुरा रोड) बनी हुई है, प्रार्थीगण पक्की सडक से मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1,2,3,4,5 में से होकर अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 49 में आसानी से आ–जा सकते हैं, इन हालात में प्रार्थीगण के रकबा मुरब्बा नम्बर 49 के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में से उतरी तरफ दो–दो बिस्वा यानि 162 फीट चौडाई में प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना–पत्र है । प्रार्थीगण रास्ता में आने वाली भूमि के बदलें में डीएलसी रेट के हिसाब से मुआवजा राशि अथवा रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि देने के लिए तैयार है। प्रार्थना–पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्यायशुल्क पर पेश है । लिहाजा प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश करके श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के रकबा चक 5 एफ बडा, पटवार हल्का कोनी, तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 19/11 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 3,4,5,6,7,8,13/2,14, 15, 16, 17, 24, 25 एवं प्रार्थी संख्या 3 ता 19 के रकबा खाता संख्या 111/86, मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 1,2,9,10,11,12,13/1,18,19,20,21, 22, 23 के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा चक 5 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 129/42 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में से उतरी तरफ दो–दो बिस्वा यानि 16 1/2 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का हुक्म दिया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 5 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 49 के किला रिकार्ड से सम्बन्धित है। प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 ता 5 की कतई आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य भी अस्वीकार है कि प्रार्थीगण को अपने मुरब्बा नम्बर 49 में आने जाने के लिए अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध ना हो और ना ही नजदीक रास्ता का विकल्प ना हो, इसलिए प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने जाने के लिए कृषि यंत्र लाने ले जाने में भारी असुविधा व कठिनाई पैदा हो रही हो। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 के अभिकथनों के उतर में निवेदन है कि मुरब्बा नम्बर 48 के किला नं 1, 10, 11, 20, 21 में पश्चिमी दिशा में पक्की सड़क बनी हुयी स्वीकार है ... तथ्य अस्वीकार है कि प्रार्थीगण पक्की सड़क से मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1, ... 3, 4, 5 में से होकर अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 49 में आसानी से ... अप्रार्थी के रकबा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में से उत्तरी तरफ के दो–दो बिस्वा रास्ता न्यायहित में आवश्यक हो । अतिरिक्त कथन– (क... ह है कि प्रार्थीगण अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रकबा में आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 56 के किला नं. 1 ता 5 का प्रयोग करते आ रहे हो जैसा कि तहसीलदार की रिपोर्ट में दर्ज है । इस प्रकार प्रार्थीगण के पास अपने रकबा में आने जाने के लिए जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो तो नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। (ख) यह है कि प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये है । प्रार्थी श्यो नारायण द्वारा अपने हिस्सा मुरब्बा नं 49 की 3.162 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से 0.606 हैक्टयर आराजी का विक्रय करार के जरिये बेचान कर दिया है जिसकी पालना न करने के। कारण विक्रय करार की पालना हेतू विनिर्दिष्ट पालना हेतू पेश किया हुआ है । जिसकी डिक्री भी माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित की जा चुकी है । इसलिए प्रार्थी श्योनारायण मुरब्बा नम्बर 49 में अपने हिस्सा की भूमि का खातेदार नहीं है । इसलिए प्रार्थना पत्र खारिजी योग्य है। (ग) यह है कि मुरब्बा नम्बर 48 के किला नं 1 ता 5 में प्रस्तावित रास्ता से अपने रकबा में आना जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि किला नम्बर 5 में 2 बिस्वा सरकारी खाला है व किला नम्बर 3 में टयूबवैल लगा हुआ है व चालू हालत में है जो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है जिस वजह से उक्त मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 ता 5 में रास्ता देने में असमर्थ है। जिससे अप्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे ।

अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त 3.162 हैक्टर में से प्रार्थी राजेन्द्र का 1/2 हिस्सा है जो कि राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कोनी से प्राप्त किये गये ऋण पेटे रहन रखा हुआ है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 के तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 के तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 के तथ्य स्वीकार है। उपरोक्त रकबा 5.880 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक से प्राप्त किये गये ऋण पेटे बैंक के पास रहन रखा हुआ है। अतिरिक्त कथन– यह कि प्रार्थी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्णराम जाति मेघवाल निवासी 6 एफ बड़ा ने अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि जो चक 5 एफ बड़ा तहसील वा जिला श्री गंगानगर के खाता संख्या 19/11 के खसरा संख्या 49 की 3.162 हैक्टर में से अपने हिस्सा की कुल 1.581 हैक्टर कृषि भूमि को मिन अप्रार्थी बैंक के पास, प्राप्त किये गये ऋण पेटे रहन की हुई है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 श्री सुशील कुमार पुत्र श्री अभयराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 4, रवि चौक, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर ने अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि जो चक 5 एफ बड़ा तहसील वा जिला श्री गंगानगर के खाता संख्या–129/42 के खसरा संख्या 48 की 5.880 हैक्टर कृषि भूमि को मिन अप्रार्थी बैंक के पास, प्राप्त किये गये ऋण पेटे रहन की हुई है। यह कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने पूर्व मिन अप्रार्थी बैंक अधिकार सुरक्षित रखते हुये ऋण चुकता होने पर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

– :: आदेश ::–

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस में कथन किये गये कि प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता का अभाव है। प्रार्थीगण के पास इस रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी संख्या 1 व 2 के रकबा चक 5 एफ बडा, पटवार हल्का कोनी, तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 19/11 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 3,4,5,6,7,8,13/2,14, 15, 16, 17, 24, 25 एवं प्रार्थी संख्या 3 ता 19 के रकवा खाता संख्या 111/86, मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 1,2,9, 10,11, 12,13/1, 18,19, 20,21, 22, 23 के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा चक 5 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 129/42 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में से उतरी तरफ दो–दो बिस्वा यानि 16 1/2 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिया जावे। वकील अप्रार्थी की बहस यह रही कि प्रार्थीगण जिस रास्ता मांग कर रहे हैं उस रास्ता में अप्रार्थीगण का ट्यूबवेल लगा हुआ है। जिस कारण प्रार्थीगण को रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण मुरबा नम्बर 56 के किला नम्बर 1 ता 5 में चल रहे पक्के सरकारी खाला के साथ साथ होकर अपने खेत में जाते है। प्रार्थीगण को रास्ता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251ए खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त– [Citation: 2023(1) DNJ (Rev.) 546] पेश किया गया। वकील प्रार्थीगण की जवाब बहस यह रही कि प्रार्थीगण द्वारा जहां से रास्ता चाहा गया है उस रास्ता की भूमि में 12 फीट भूमि को छोड कर ट्यूबवेल आता है, दो साल से ट्यूबेल बंद पड़ा है, जिसका खारा पानी है। उसका किसी प्रकार से अप्रार्थी उपयोग नहीं कर रहा है। केवल मात्र अप्रार्थी ने रास्ता में बाधा डालने के लिए ट्यूबवेल लगवाया हुआ है। ट्यूबवेल का मुआवजा भी प्रार्थीगण अदा करने के लिए तैयार है। मुरबा नम्बर 56 के किला नम्बर 1 ता 5 में चल रहे पक्के सरकारी खाला के साथ साथ कोई रास्ता मौजूद नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपने रकबा में आ जा सके। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त चल रहे पक्का खाला के फोटो ग्राफस पेश किये। यदि अप्रार्थी के ट्यूबवेल को छोड कर न्यायालय प्रार्थीगण को 12 फीट का रास्ता स्वीकृत करे तो प्रार्थीगण उसके लिए भी तैयार है। वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त– 2022(1) RRT196, 2022(1) RRT342, 2022(1) RRT556, 2020(2) RRT 1163 पेश किये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना [illegible]ट से आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को ट्यूबवेल को छोड कर रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त परिस्थितियों [illegible] 16½ फीट रास्ता के स्थान पर 12 फीट रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा [illegible]क 5 एफ बड़ा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

श्रीगंगानगर के खाता संख्या 129/42 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में से उतरी तरफ ट्यूबैल को छोड कर 12 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दर दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाए जाने के उपरान्त तहसीलदार राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन करे एवम् सम्बंधित काश्तकार को अपने स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिंनाक 24.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:24:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner